

12

अनुकम्पा- अदालत 2018

पूर्वोत्तर-रेलवे

संख्या-का/239/अनुकम्पा अदालत/कम्प/IX/18

महाप्रबधक/कार्मिक
गोरखपुर

कार्यालय
मण्डल रेल प्रबधक/कार्मिक
इज्जतनगर
दिनांक 01-11-2018

विषय:-अनुकम्पा अदालत-2018।

संदर्भ:-आपका पत्र संख्या ई/239/अनुकम्पा अदालत/2018/पाँच दिनांक
13-09-2018।

संदर्भित पत्र के अनुपालन में दिनांक 01-11-2018 को अनुकम्पा अदालत-2018 का आयोजन कराया गया। इस अदालत के लिये कुल 05 आवेदन प्राप्त हुये तथा सभी आवेदनो पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये उनका निस्तारण कर दिया गया एवं आवेदको को भी तदनुसार सूचित किया गया। अदालत में एक आवेदनकर्ता श्री अंकुश कुमार सक्सेना उपस्थित हुये, उन्हे अनुकम्पा अदालत के दौरान मामले से अवगत कराया गया।

अनुकम्पा अदालत-2018 में प्राप्त आवेदनो के विवरण की सूची निस्तारण सहित पत्र के साथ संलग्न है।

सादर।

संलग्न-उपरोक्त सूची
(02 पेज)

(सन्तराज) 01/11/18
सहायक कार्मिक अधिकारी/II
इज्जतनगर

01/11/18

अनुकम्पा अदालत-2018 मे प्राप्त आवेदनो का विवरण

कस	आवेदक / कर्मचारी का नाम व उनका पद	मृत्यु / लापता होने की तिथि	अनुकम्पा अदालत हेतु आवेदन प्राप्त होने की तिथि	केस का विवरण एवं की गयी कार्यवाही
1	श्री मो० शकील पुत्र स्व० श्रीमती नाहिद आरा भू०पू०प्रधान लिपिक / परिचालन	मृत्यु दिनांक 01-02-11	दिनांक 26-09-2018	<p>मृतक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मो० शकील की नियुक्ति हेतु 17-02-2011 को आवेदन प्राप्त हुआ तथा मंत्र प्र महोदय के अनुमोदन से दिनांक 26-04-2011 को करायी गयी अनुकम्पा परीक्षा मे मो० शकील ग्रेड पे 2800/- हेतु सुयोग्य घोषित हुये तथा उन्हें एसएसएम का पद आवंटित हुआ, परन्तु आवंटित पद के अनुरूप चिकित्सा श्रेणी मे अयोग्य घोषित होने पर, अभ्यर्थी को पुनः चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाया गया गया ।</p> <p>अभ्यर्थी के दोबारा चिकित्सा परीक्षा हेतु कार्यालय मे उपस्थित नही होने के कारण मंत्र प्र महोदय नियुक्ति हेतु मामला विचारणीय नही पाया है एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या का/239 /03-24/कम्प/ix/11 दि० 09-12-2015 के द्वारा सूचित किया गया, जो उन्होंने उपलब्ध नही कराया है।</p> <p>अनुकम्पा अदालत हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या का/239/03-24 /कम्प/ix/11 दिनांक 04-10-2018 के द्वारा आवेदक को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देय नही होने के सम्बन्ध मे सूचित किया गया।</p>
2	श्री अरविन्द यादव पुत्र स्व० प्रकाश चन्द्र भू०पू० ट्रैकमैन / फतेहगढ़	मृत्यु दिनांक 10-02-13	दिनांक 08-10-2018	<p>मृतक कर्मचारी ने अपने जीवनकाल मे एक पत्नी के जीवित रहते हुये दूसरा विवाह किया था तथा पहली पत्नी से कोई संतान नही है। आवेदनकर्ता दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान है। नियमानुसार एक से अधिक जीवित पत्नी छोडे जाने के मामले मे द्वितीय पत्नी व उसके बच्चो को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देय नही है। इस कार्यालय के पत्र संख्या का/239/पीपीए-16/ कम्प/ix/13 दिनांक 29-07-2013 के द्वारा सूचित किया गया।</p> <p>इसके कम मे श्री अरविन्द यादव का स्वयं को मृतक कर्मचारी की पहली पत्नी से उत्पन्न संतान होने का दावा प्रस्तुत करने पर अमंत्र प्र महोदय के आदेश के अनुसार आवेदक को मातृत्व डीएनए टेस्ट अथवा इसके समकक्ष (सरकारी संस्थान के द्वारा जारी) साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये इस कार्यालय के पत्र संख्या का/239/पीपीए-16 /कम्प/ix/13 दिनांक 25-08-2015 के द्वारा सूचित किया गया। इस सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।</p> <p>अनुकम्पा अदालत हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या पत्र संख्या का/</p>

P.T.O.

				239/पीपीए-16/कम्प/ix/13 दि० 11-10-2018 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया।
3	श्रीमती बीना कुमारी पत्नी नन्द किशोर भू०पू० हेल्पर/समाधि बरेली सिटी	अनिवार्य सेवा निवृत्त दिनांक 30-06-06	दिनांक 11-10-2018	<p>कर्मचारी को रेल से अनिवार्य सेवा निवृत्त किया, किया गया है। नियमानुसार अनिवार्य सेवा निवृत्त किये गये कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देय नहीं है।</p> <p>अनुकम्पा अदालत हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या का/239/पीपीए-59/कम्प/ix/15 दिनांक 15-10-2018 के द्वारा नियुक्ति देय नहीं होने के सम्बन्ध में आवेदक को सूचित किया गया।</p>
4	श्री अंकुश कुमार सक्सेना पुत्र स्व० सत्यनारायण सक्सेना भू०पू० चालक/माल कासगंज	मृत्यु दिनांक 15-09-90	दिनांक 11-10-2018	<p>मृतक कर्मचारी ने अपने जीवनकाल में एक पत्नी के जीवित रहते हुये दूसरा विवाह किया था तथा पहली पत्नी से कोई संतान नहीं है। आवेदनकर्ता दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान है। नियमानुसार एक से अधिक जीवित पत्नी छोड़े जाने के मामले में द्वितीय पत्नी व उसके बच्चों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देय नहीं है। मरेप्र महोदय के निर्णय से इस कार्यालय के पत्र संख्या का/239/52/कम्प/ix/95 दि० 24-07-2000 के द्वारा सूचित किया गया।</p> <p>अनुकम्पा अदालत हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या का/239/52/कम्प/ix/95 दिनांक 15-10-2018 के द्वारा नियुक्ति देय नहीं होने के सम्बन्ध में आवेदक को सूचित किया गया।</p> <p>श्री अंकुश कुमार सक्सेना अनुकम्पा अदालत में उपस्थित हुये तथा अनुकम्पा अदालत के दौरान अमरेप्र/इफा महोदय के समक्ष मामले पर पुनः समीक्षा की गयी तथा नियमानुसार नियुक्ति देय नहीं होने के सम्बन्ध में उन्हे अवगत कराया गया।</p>
5	श्रीमती ज्योति पत्नी स्व० हरी भू०पू० सफाईवाला चिकि० कासगंज	मृत्यु दिनांक 15-08-13	दिनांक 12-10-2018	<p>मृतक कर्मचारी ने अपने जीवनकाल में एक पत्नी के जीवित रहते हुये दूसरा विवाह किया था तथा आवेदनकर्ता श्रीमती ज्योति मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी है। नियमानुसार एक से अधिक जीवित पत्नी छोड़े जाने के मामले में द्वितीय पत्नी व उसके बच्चों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देय नहीं है।</p> <p>अनुकम्पा अदालत हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या का/239/पीपीए-76/कम्प/ix/13 दिनांक 24-10-2018 के द्वारा नियुक्ति देय नहीं होने के सम्बन्ध में आवेदक को सूचित किया गया।</p>

सहायक कार्मिक अधिकारी
गो 30 रो, इलाहाबाद
Assistant Personnel Officer
N.E. Ry. Izatnagar